

एवबएवदए!

बाल मजदूरी कानूनी जुर्म है।

हर बच्चे का है अधिकार
रोटी, खेल, पढ़ाई, प्यार

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- 14 साल से कम उम्र का बच्चा मजदूर के रूप में काम नहीं कर सकता।
- बाल मजदूरी करवाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक जेल की सजा हो सकती है।
- बाल मजदूरी कराने वाले को 20 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
- इस कानून के तहत 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे, जिन्हें "किशोर" कहा जाता है, खतरनाक व्यवसाय एवं उद्योगों में काम नहीं कर सकता है।
- 14 साल से कम उम्र व्यवसाय का बच्चा अपने परिवार के में मदद कर सकता है, बशर्ते वह व्यवसाय खतरनाक नहीं हो। यह काम भी बच्चा स्कूल से आने के बाद या छुट्टियों में ही कर सकता है।
- 14 से 19 वर्ष के किशोर, खान, ज्वलन शील पदार्थ एवं खतरनाक प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकता है।
- खतरनाक व्यवसाय, जैसे-ऑटोमोबाइल वर्कशॉप/ गैराज, सर्कस, हाथियों की देखभाल, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, कचरा उठाना और कबाड़ चुनना, चूना भट्टा तथा घरेलू श्रम सहित अन्य 136 व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में काम नहीं कर सकता है।
- इस कानून के तहत बाल श्रम से संबंधित शिकायत कोई भी नागरिक श्रम विभाग 155214, पुलिस 100, चाइल्डलाइन 1098, पेंसिल पोर्टल [www. Pencil.gov.in](http://www.Pencil.gov.in) पर कर सकता है।



बाल मजदूरी कानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायेँ, सब बच्चों के अधिकार दिलायेँ...

इस कानून के तहत कोई भी नागरिक बल श्रम से सम्बंधित शिकायत श्रम विभाग 155214, पुलिस 100, चाइल्डलाइन 1098 और बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 एवं पेंसिल पोर्टल www.pencil.gov.in पर कर सकता है।

सहयोगी

अवार्ड, दीया सेवा संस्थान, युगांतर भारती, लोक भारती, ग्राम विकास समिति, बुनियाद, आश्रयणी फाउंडेशन, छोटानागपुर समाज विकास संस्थान सोशल एक्शन सोसाइटी, नीलाम्बर पीताम्बर एजुकेशन रिसर्च संस्थान, जन सरोकार, मल्टी आर्ट एसोसिएशन, ग्रामीण विकास समिति, स्टार नटराज संपूर्ण ग्राम विकास केन्द्र, प्रेरणा, युवा ग्रामीण विकास समिति, सहिया, सखी सहेली संघर्ष मोर्चा, आशा, मेघनैमी सेवा संस्थान सिमवार टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, सहभागी विकास केन्द्र, आदर्श पथ, झारखंड उदय, जन लोक कल्याण परिसर, जन लोक कल्याण परिषद अभ्युदय जन कल्याण आश्रम, अनामिक सोनाली फाउंडेशन, सेतु, साथी, जन सहभागी विकास केन्द्र, अंजलिसेजल चैरिटेबल फाउंडेशन

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

सावधान!

बाल यौन शोषण कानूनी जर्म है।

“बाल-उत्पीड़न पर चुप्पी साध लेना भी एक तरह की हिंसा ही है!”

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित


बाल यौन शोषण क्या है?

- बच्चों के साथ यौन व्यवहार करना
- बच्चों के यौन अंगों को छूना
- बच्चे के शरीर में यौन अंगों में उंगलिया या कोई और वस्तु डालना
- शरीर का कोई यौन अंग बच्चे को दिखाना
- बच्चे को जबरदस्ती यौन विषयों को दिखाना
- बच्चों से वैश्यावृत्ति करवाना
- बच्चे के शरीर के किसी भाग का इलेक्ट्रॉनिक चित्र खींचना, फिल्म बनाना, किसी भी रूप में उपयोग करने की धमकी देना



बाल यौन शोषण

- बाल यौन शोषण लड़का या लड़की दोनों का हो सकता है इसमें बच्चे को अपनी गलती को सिद्ध नहीं करना पड़ता।
- यौन शोषण करने वाला ज्यादातर जानकार व्यक्ति या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है।
- किसी भी बच्चे को किसी के द्वारा कोई यौन अंग दिखाने वाले व्यक्ति को तीन साल की सजा हो सकती है।
- बच्चे के यौन अंग को छूने वाले व्यक्ति को 3 से 5 साल तक की सजा हो सकती है
- किसी भी बाल शोषण की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है।
- पुलिस रिपोर्ट नहीं करने वाले पर 6 महीने से लेकर एक साल तक का कारावास तथा भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यौन उत्पीड़न से **बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो एक्ट 2012)** के अंतर्गत कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक आजीवन कारावास का प्रावधान है।



बाल यौन शोषण कानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटाये, सब बच्चों के अधिकार दिलाये...

बाल यौन उत्पीड़न की जानकारी चाइल्डलाइन 1098, महिला आयोग 1090, पुलिस 100 और 181
एवं बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर दी जा सकती है।

सहयोगी

अवार्ड, दीया सेवा संस्थान, युगांतर भारती, लोक भारती, ग्राम विकास समिति, बुनियाद, आश्रयणी फाउंडेशन, छोटानागपुर समाज विकास संस्थान सोशल एक्शन सोसाइटी, नीलाम्बर पीताम्बर एजुकेशन रिसर्च संस्थान, जन सरोकार, मल्टी आर्ट एसोसिएशन, ग्रामीण विकास समिति, स्टार नटराज संपूर्ण ग्राम विकास केन्द्र, प्रेरणा, युवा ग्रामीण विकास समिति, सहिया, सखी सहेली संघर्ष मोर्चा, आशा, मेघनैमी सेवा संस्थान सिमवार टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, सहभागी विकास केन्द्र, आदर्श पथ, झारखंड उदय, जन लोक कल्याण परिसर, जन लोक कल्याण परिषद अभ्युदय जन कल्याण आश्रम, अनामिक सोनाली फाउंडेशन, सेतु, साथी, जन सहभागी विकास केन्द्र, अंजलिसेजल चैरिटेबल फाउंडेशन

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

फोन: 91 11 47511111 | फैक्स: 91 11 47511138 ईमेल: info@satyarthi.org | वेबसाइट: www.satyarthi.org

सावधान!

बाल विवाह एक क़ानूनी अपराध है।

पढ़ने बढ़ने की उम्र है बाल विवाह जुर्म है

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह करना अपराध है।
- बाल विवाह करवाने वाले दोषी, माता पिता तथा अन्य रिश्तेदारों को 2 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह करने वाले पंडित/ आचार्य को भी सजा हो सकती है।
- बाल विवाह में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को 2 साल तक की सजा और एक लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह के लिए अपनी सेवा देने वाला नाई, रसोईये, बैंड एवं टेंट वाले या हर किसी को 2 साल तक की सजा या एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
- बाल विवाह की जानकारी - चाइल्ड लाइन 1098, महिला आयोग 1090, पुलिस 100 और 181 पर दी जा सकती है।



बाल विवाह एक क़ानूनी अपराध है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायेँ, सब बच्चों के अधिकार दिलायेँ...

बाल विवाह की जानकारी - चाइल्डलाइन 1098, महिला आयोग 1098, पुलिस 100 और 181 एवं बचपन बचाओ आन्दोलन (बीबीए) की हेल्पलाइन 1800102722 पर दी जा सकती है।

सहयोगी

अवार्ड, दीया सेवा संस्थान, युगांतर भारती, लोक भारती, ग्राम विकास समिति, बुनियाद, आश्रयणी फाउंडेशन, छोटानागपुर समाज विकास संस्थान सोशल एक्शन सोसाइटी, नीलाम्बर पीताम्बर एजुकेशन रिसर्च संस्थान, जन सरोकार, मल्टी आर्ट एसोसिएशन, ग्रामीण विकास समिति, स्टार नटराज संपूर्ण ग्राम विकास केन्द्र, प्रेरणा, युवा ग्रामीण विकास समिति, सहिया, सखी सहेली संघर्ष मोर्चा, आशा, मेघनैमी सेवा संस्थान सिमवार टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, सहभागी विकास केन्द्र, आदर्श पथ, झारखंड उदय, जन लोक कल्याण परिसर, जन लोक कल्याण परिषद अभ्युदय जन कल्याण आश्रम, अनामिक सोनाली फाउंडेशन, सेतु, साथी, जन सहभागी विकास केन्द्र, अंजलिसेजल चैरिटेबल फाउंडेशन

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है

“हम हर एक उस बच्चे के प्रति जवाबदेह हैं,
जो आज स्कूल में नहीं है”

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

- शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। हर बच्चे को 14 साल तक निशुल्क शिक्षा व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है अर्थात् सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक पढाई निशुल्क है।
- शिक्षा के साथ 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को कॉपी, किताब, बस्ता एवं यूनिफार्म निशुल्क प्रदान किये जाते हैं
- प्राइवेट स्कूल में गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले परिवार के बच्चों को 14 साल तक निशुल्क प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है।
- स्कूलों में बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक यातना देना कानूनी जुर्म है।
- स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएँ हर बच्चे का अधिकार है।
- किसी भी तरह के शोषण, अपमान और दुराचार से सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है।
- हर बच्चे को स्वच्छ पानी, स्वच्छ शौचालय एवं पौष्टिक आहार का अधिकार है।
- बच्चों को स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है।
- हर बच्चे को खेल एवं मनोरंजन का अधिकार है।
- धार्मिक स्वतंत्रता हर बच्चे का अधिकार है।
- हर बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता पाने का अधिकार है।
- बच्चे को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण पाने का अधिकार है।
- माता पिता के साथ परिवार में प्रसन्नतापूर्वक रहना बच्चे का अधिकार है।
- आनंदमय बचपन हर बच्चे का अधिकार है।



शिक्षा बच्चे का मौलिक अधिकार है

आइये हम सब मिलकर इसे जड़ से मिटायें, सब बच्चों के अधिकार दिलायें...

सहयोगी

अवार्ड, दीया सेवा संस्थान, युगांतर भारती, लोक भारती, ग्राम विकास समिति, बुनियाद, आश्रयणी फाउंडेशन, छोटानागपुर समाज विकास संस्थान सोशल एक्शन सोसाइटी, नीलाम्बर पीताम्बर एजुकेशन रिसर्च संस्थान, जन सरोकार, मल्टी आर्ट एसोसिएशन, ग्रामीण विकास समिति, स्टार नटराज संपूर्ण ग्राम विकास केन्द्र, प्रेरणा, युवा ग्रामीण विकास समिति, सहिया, सखी सहेली संघर्ष मोर्चा, आशा, मेघनैमी सेवा संस्थान सिमवार टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, सहभागी विकास केन्द्र, आदर्श पथ, झारखंड उदय, जन लोक कल्याण परिसर, जन लोक कल्याण परिषद अभ्युदय जन कल्याण आश्रम, अनामिक सोनाली फाउंडेशन, सेतु, साथी, जन सहभागी विकास केन्द्र, अंजलिसेजल चैरिटेबल फाउंडेशन

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

सभी बच्चे स्कूल में


बदलेंगे तस्वीर हम सब मिल जुल कर बनाएंगे बाल मित्र ग्राम

- कैलाश सत्यार्थी
नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित

कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन्स फाउंडेशन एक दशक से भी अधिक समय से देश के 600 से अधिक गांवों में "बाल मित्र ग्राम" की स्थापना कर चुका है। जहां सभी बच्चे सुरक्षित, शिक्षित, स्वस्थ एवं आजाद बचपन की ओर अग्रसर हैं।

बाल मित्र ग्राम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. बाल शोषण रहित समुदाय
2. समुदाय के सभी बच्चे स्कूल में हों
3. बाल मजदूरी मुक्त समाज
4. स्कूलों में मुफ्त, अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना
5. सामुदायिक स्तर पर सभी बच्चों की बाल संसद का निर्माण
6. समुदाय के विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना



सहयोगी

अवार्ड, दीया सेवा संस्थान, युगांतर भारती, लोक भारती, ग्राम विकास समिति, बुनियाद, आश्रयणी फाउंडेशन, छोटानागपुर समाज विकास संस्थान सोशल एक्शन सोसाइटी, नीलाम्बर पीताम्बर एजुकेशन रिसर्च संस्थान, जन सरोकार, मल्टी आर्ट एसोसिएशन, ग्रामीण विकास समिति, स्टार नटराज संपूर्ण ग्राम विकास केन्द्र, प्रेरणा, युवा ग्रामीण विकास समिति, सहिया, सखी सहेली संघर्ष मोर्चा, आशा, मेघनैमी सेवा संस्थान सिमवार टोला ग्रामोदय विकास विद्यालय, सहभागी विकास केन्द्र, आदर्श पथ, झारखंड उदय, जन लोक कल्याण परिसर, जन लोक कल्याण परिषद अभ्युदय जन कल्याण आश्रम, अनामिक सोनाली फाउंडेशन, सेतु, साथी, जन सहभागी विकास केन्द्र, अंजलिसेजल चैरिटेबल फाउंडेशन

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION